


No. 13

श्रीगंगाना 52/20

13

मुन्तकिली प्रकरण सं० 52/2016 अनवानी 1-श्री जगमोहन सिंह पुत्र निरंजनसिंह जाति जटसिख नि० 3 सीसी तह० पदमपुर 2- जसपालसिंह पुत्र निरंजन सिंह 3-जगतारसिंह पुत्र निरंजन सिंह बनाम 1-तहसीलदार, पदमपुर 2- सरपंच ग्राम पंचायत 16 बीबी 3-ग्राम पंचायत 16 बीबी जरिये सचिव 4-गुरनाम कौर बेवा जगजीत सिंह जाति जटसिख नि. कनाडा जरिय मु० आम गुरदयाल सिंह पुत्र अजीत सिंह जटसिख नि० 39 आरबी तह० पदमपुर 5-डोली पुत्री जगजीत सिंह 6-रिम्पल पुत्री जगजीत सिंह 7-सवरीना पुत्री जगजीत सिंह 8-जसवंतसिंह पुत्र निरंजन सिंह



05.12.2016

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री राजवीर सिंह उपस्थित है। अप्रार्थी सं० 4 ता 7 के अभिभाषक श्री राजकुमार नागपाल उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण जगमोहनसिंह, जसपाल सिंह, जगतार सिंह ने यह मुन्तकिली प्रा० पत्र इस न्यायालय में इस आशय का पेश किया है कि उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय द्वारा अपील सं० 16/2013 अनवानी जगमोहनसिंह वगैरा बनाम सरपंच ग्राम पंचायत 16बीबी एवं जसवंतसिंह वगैरा में पारित निर्णय 02.02.16 के द्वारा चक 3सीसी के ईन्तकाल सं० 249 दिनांक 2.11.2012 को निरस्त करके प्रकरण पुनः सुनवाई एवं निस्तारण हेतु तहसीलदार, पदमपुर को रिमाण्ड किया गया है में तहसीलदार, पदमपुर से निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है इसलिए इसे अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के अपील संख्या 16/2013 अनवानी जगमोहन सिंह आदि बनाम सरपंच ग्राम पंचायत 16 बीबी एवं जसवंत सिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 02.02.2016 के द्वारा चक 3 सीसी के ईन्तकाल सं० 249 दिनांक 20.11.2012 को निरस्त करके प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार, पदमपुर को रिमाण्ड किया गया है जो तहसीलदार, पदमपुर के न्यायालय में लंबित है। उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के उक्त निर्णय के विरुद्ध संभागीय आयुक्त, बीकानेर के समक्ष अप्रार्थी सं० 4 ता 7 क्रमशः गुरनाम कौर, डोली, रिम्पल, सवरीना ने अपील पेश कर रखी है जो उनके समक्ष लंबित है। प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार, पदमपुर से प्रार्थना की गयी कि मामला उच्चतर न्यायालय में विचारधीन होने के कारण सब-ज्यूडिस है। इसलिए इस प्रकरण में उन्हें कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। किन्तु उनके द्वारा लंबित प्रकरण की कोई परवाह न करके यह कहा कि प्रकरण का निर्णय अप्रार्थी सं० 4 ता 7 के पक्ष में ही करेंगे। जबकि उनको कार्यवाही रोकनी चाहिए थी। इसलिए प्रार्थीगण को तहसीलदार, पदमपुर से निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि तहसीलदार, पदमपुर द्वारा रिमाण्ड प्रकरण के संबंध में कोई पत्रावली नहीं खोली गई है और न ही कोई पत्रावली दर्ज करके कोई प्रकरण संख्या दायम किया गया है। तहसीलदार, पदमपुर न्यायिक प्रकिया पूर्ण किये बिना ही उक्त प्रकरण का मनमाने तरीके से निर्णय करने पर उतारू है। इसलिए उन्हें न्याय मिलने की संभावना नहीं है।

जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

उनका यह भी कथन है कि उपखण्ड अधिकारी पदमपुर द्वारा तहसीलदार, पदमपुर को निदेशित किया गया था कि पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर निर्णय पारित करें। तहसीलदार पदमपुर ने पक्षकारों की सुनवाई के लिए कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई है और न ही पत्रावली दर्ज रजिस्टर करके प्रकरण संख्या लगाया है और न ही पक्षकारों को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया है और न ही कोई बहस सुनी है और वे तुरन्त निर्णय करने पर उतारू है जिससे प्रार्थीगण को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है। इसलिए भी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अभिभाषक का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर द्वारा तहसीलदार पदमपुर को प्रकरण रिमाण्ड करने पर तहसीलदार पदमपुर द्वारा दिनांक 04.02.2016 को पत्रावली पेशी में ली गई और उनके द्वारा सुनवाई हेतु पक्षकारों को नोटिस जारी करके पत्रावली में सुनवाई की जा रही है। जिसमें दोनों पक्षों के अभिभाषक दिनांक 04.05.06 को उपस्थित हुए हैं। इसके पश्चात 13.05.16, 02.06.16, 09.06.16, 13.06.16 की तारीख पेशीयां मुकर्रर की गई है। कोई स्थगन आदेश न होने के कारण सबूत हेतु 18.07.16 मुकर्रर की गई है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा यह कहना कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई रिमाण्ड प्रकरण पर पत्रावली कायम किये, बिना प्रक्रिया अपनाये, साक्ष्य आदि का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित करने में उतारू है, जो सही नहीं है। इसलिए मुन्तकिली प्रा० पत्र खारिज किया जावे।

उनका यह भी कथन है कि वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर द्वारा रिमाण्ड प्रकरण पर कोई स्थगन आदेश नहीं है किन्तु प्रार्थीगण ने तहसीलदार के समक्ष लंबित कार्यवाही में देरी करने के लिए ही यह मुन्तकिली प्रा० पत्र आधारहीन तथ्यों के साथ पेश किया है जो खारिज किया जावे।


मैंने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली व तहसीलदार पदमपुर के प्रतिवेदन दिनांक 23.06.16 का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के एक अपील अनवानी जगमोहन वगैरा बनाम सरपंच ग्राम पंचायत 16 बी.बी. एवं जसवंत सिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 02.02.2016 के द्वारा चक 3 सी.सी. के ईन्तकाल सं० 249 दिनांक 20.11.2012 को निरस्त करके प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार, पदमपुर को रिमाण्ड किया है, मैं निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर प्रार्थीगण ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र तहसीलदार, पदमपुर के न्यायालय से उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल करने के लिए पेश किया है। तहसीलदार पदमपुर ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 23.06.16 में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए अंकित किया है कि उक्त रिमाण्ड प्रकरण को प्रकरण सं० 1/2016 के रूप में दिनांक 04.02.2016 को उनके न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया है और दोनों पक्षकारों को नोटिस जारी करके तारीख पेशी 21.04.2016 नियत की गयी है और दोनों पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित आये और उसके पश्चात 04.05.16, 13.05.16, 02.06.16, 09.06.16, 13.06.2016 व उसके बाद 18.07.16 की तारीख पेशीयां नियत की गयी है और अब बहस के लिए 18.07.2016 नियत है और संभागीय आयुक्त, बीकानेर के समक्ष लंबित अपील में भी कोई स्थगन आदेश

कार्यवाही रोकने बाबत नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण का यह आरोप कि तहसीलदार पदमपुर द्वारा प्रकरण रिमाण्ड होकर आने पर कोई पत्रावली नहीं खोली गई है और बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये निर्णय करने पर उतारू है, जो सही नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

जहां तक प्रार्थीगण का यह कथन कि उच्चतर न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के कारण सब-ज्यूडिस है। इसलिए तहसीलदार को अपने समक्ष लंबित प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। चूंकि इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय ही विधि अनुसार ही विचार करने के लिए सक्षम है न कि यह न्यायालय और अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी बिन्दु पर दिये गये निर्णय पर प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतन्त्र है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा मुकदमा मुन्तकिली के लिए गया यह आधार स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण का मुन्तकिली प्रा० पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 05.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2141
16-12-16